न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 121/2022 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/426
दायर दिनांक :– 01.06.2022 निर्णय दिनांक :– 04.03.2025

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी.......

बनाम

01. चन्द्रकुमार पुत्र नारायणराम जाति मेघवाल निवासी श्रीसुरपुरा तहसील बाप
02. सन्तोषदेवी पत्नि शहीद गोरधनराम जाति मेघवाल निवासी श्रीसुरपुरा तह. बाप
03. किस्तुराराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप
04. किशनाराम पुत्र हीराराम जाति नायक निवासी कानसिंह की सिड तह. बाप

अप्रार्थीगण....

उपस्थित :–

1. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने रूगाराम पुत्र हीराराम नायक से सुरपुरा में ही कृषि भूमि खसरा नम्बर 193/1 रकबा 44 बीघा भूमि को खरीद था जो भूखण्ड के उतर भाग मे स्थित है जिस पर रूगनाराम पिता हिराराम नायक काबिज था और उस खसरा नम्बर के भाग 193/1 ही हमें बेचा व पूर्ण कब्जा दिया जिसमें से जाम्बा से कानसिंह की सिड सड़क जाती है। हल्का पटवारी ने गलत तरमीम करके मुझ अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को खसरा नम्बर 193/1 को बिच वाले भाग में डाल दिया जिसमें हमारे पूर्व विकेता का न ही कब्जा था और न ही कृषि करता था और मौके पर उसमें से सड़क भी नहीं निकलती है और हमारे कृषि भूखण्ड खसरा नम्बर 193/1 रकबा 44 बीघा के टच करते हुवे भारतमाला सड़क सर्वे के अनुसार उत्तर की तरफ से जुड़ता है जबकि इस कोई भूखण्ड नहीं जुड़ता है जो सरासर गलत है और तरमीम व नक्शा में दर्शाना भी गलत है। मेरे भूखण्ड खसरा नम्बर 193/1 को उत्तर की तरफ नक्शे में सही जगह पर दर्शाया जावे जिससे हम लोग कृषि कार्य करते आ रहे है और सही रूप से काबिज और हमारी रजिस्ट्री में भी हमारे भूखण्ड को उत्तर दिशा में दर्शाया गया है। इस गलत तरमीम को और को खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी तहसीलदार बाप ने प्रार्थना पत्र के संलग्न मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पूर्व में पेश किया जा चुका है जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 स्वंय उपस्थित हुवे। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की और से अधिवक्ता सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा

04/3/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता जवाब पेश नहीं करना चाहते है इसलिए जवाब का अवसर बंद किया गया।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम सुनी गयी। दस्तावेजो का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 193, 193/1 193/2 की तरमीम खातेदारो के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131.136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम श्रीसुरपुरा पटवार हल्का श्रीसुरपुरा तहसील बाप के खसरा नम्बर 193, 193/1 193/2 की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को दुरूस्त की जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.02.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार बाप दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/3/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)